



प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय: बिलासपुर
रिट याचिका (227) क्रमांक 6388/2008

याचिकाकर्ता/प्रतिवादी:

रामनाथ, पिता शामेलाल साहू, आयु लगभग 57 वर्ष, निवासी बोड़सरा, तहसील-जांजगीर, जिला जांजगीर-चांपा (छ.ग.)।

विरुद्ध

उत्तरवादी/वादी:

1. रामचंद्र, पिता तीरथ राम यादव, आयु लगभग 62 वर्ष, निवासी तहसील जांजगीर-जांजगीर, जिला जांजगीर-चांपा(छ.ग.)।
2. छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा कलेक्टर, जांजगीर जिला जांजगीर-चांपा (छ.ग.)।

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के अधीन रिट याचिका)

एकल पीठ: माननीय श्री सतीश के. अग्निहोत्री, न्यायाधीश

उपस्थिति:

याचिकाकर्ता के लिए श्री सुभाष यादव, अधिवक्ता।

उत्तरवादी क्रमांक 2/राज्य के लिए श्री ए.एस. कछवाहा, उप महाधिवक्ता ।

-- मौखिक आदेश --

(दिनांक 17.11.2008 को पारित)



भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के अधीन प्रस्तुत इस याचिका द्वारा, याचिकाकर्ता ने जिला न्यायाधीश, जांजगीर-चांपा द्वारा विविध व्यवहार अपील क्रमांक 6/2008 में पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 17.07.2008 (अनुलग्नक पी/9) की विधिकता और विधिमान्यता को चुनौती दी है, जिसके द्वारा अपील स्वीकार की गई थी और व्यवहार न्यायाधीश, जांजगीर, जिला जांजगीर के न्यायालय के समक्ष व्यवहार वाद क्रमांक 48-ए/2007 में व्यवहार प्रक्रिया संहिता, 1908 (संक्षेप में, 'सी.पी.सी.')

के आदेश 39 नियम 1 एवं 2 के अधीन प्रस्तुत आवेदन खारिज कर दिया गया था।

2. वादी/प्रथम उत्तरवादी ने स्थायी व्यादेश हेतु व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-दो, जांजगीर, जिला जांजगीर-चांपा के समक्ष एक वाद प्रस्तुत किया। वादी ने तत्पश्चात याचिकाकर्ता के विरुद्ध वादी/प्रथम उत्तरवादी के कब्जे में हस्तक्षेप करने से रोकने हेतु यथास्थिति बनाए रखने और अस्थायी व्यादेश प्रदान करने के लिए व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 39, नियम 1 एवं 2 के अधीन एक आवेदन प्रस्तुत किया। व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-दो, जांजगीर-चांपा ने आदेश दिनांक 11.02.2008 (अनुलग्नक पी/7) द्वारा यह निर्धारित करते हुए आवेदन खारिज कर दिया कि वादी/प्रथम उत्तरवादी विधिपूर्वक



अपना कब्जा स्थापित करने में विफल रहा है, अतएव, सघन अवलोकन के आवेदन खारिज कर दिया गया। वादी/प्रथम उत्तरवादी द्वारा जिला न्यायाधीश, जांजगीर-चांपा के न्यायालय में प्रस्तुत अपील में, जिला न्यायाधीश ने अपील स्वीकार कर ली और व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 39 नियम 1 एवं 2 के अधीन प्रस्तुत आवेदन में यथाप्रार्थित अस्थायी व्यादेश प्रदान कर दिया। जिला न्यायाधीश सही निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि आवेदन घोषणा की मांग किये बिना स्थायी व्यादेश के लिए प्रस्तुत किया गया था और वाद-पत्र में किए गए कथनों पर प्रथम दृष्टया यह पाया गया कि वाद-पत्र की अनुसूची की भूमि पैतृक संपत्ति थी और वादी के अनुसार, वादी संपत्ति के कब्जे में था। इसलिए, विचारण न्यायालय का यह निष्कर्ष कि याचिकाकर्ता ने प्रथम दृष्टया अपना कब्जा विधिपूर्वक सिद्ध नहीं किया है विधि के सुस्थापित सिद्धांतों के विपरीत है। संपूर्ण वाद कब्जे पर आधारित था। सुविधा के संतुलन और अपूरणीय क्षति के संबंध में निष्कर्ष पर विचारण न्यायालय द्वारा विचार नहीं किया गया था। विद्वान जिला न्यायाधीश सही निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि याचिकाकर्ता के पास स्पष्ट रूप से वादी/प्रथम उत्तरवादी के कब्जे में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। वाद के लंबित रहने के दौरान कब्जे में हस्तक्षेप से वादी/प्रथम उत्तरवादी को





अपूरणीय क्षति और असुविधा होगी। इस प्रकार, विविध अपील स्वीकार की गई और यथाप्रार्थित अंतरिम व्यादेश प्रदान किया गया।

3. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों को सुना है, अभिवचनों और उसके साथ संलग्न दस्तावेजों का परिशीलन किया है।
4. मैंने प्रकरण के सभी पहलुओं पर विचार किया है। जिला न्यायाधीश द्वारा यह निष्कर्ष अभिलिखित करने में कोई अनियमितता, अवैधता या अधिकारिता संबंधी त्रुटि नहीं है कि वादी/प्रथम उत्तरवादी ने एक प्रथम दृष्टया प्रकरण स्थापित किया है और यदि याचिकाकर्ता/प्रतिवादी को वादी/प्रथम उत्तरवादी के कब्जे में हस्तक्षेप करने की अनुमति दी गई, तो इससे अपूरणीय क्षति होगी और सुविधा का संतुलन भी वादी/प्रथम उत्तरवादी के पक्ष में है।

5. न्यायालय को, भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के अधीन अपनी पर्यवेक्षी अधिकारिता के प्रयोग में, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप करने से स्वयं को रोकना चाहिए, सिवाय ऐसे प्रकरणों के जहाँ विपरीतता, अवैधता, अनियमितता या अधिकारिता संबंधी त्रुटि अभिलेख पर स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर हो, जो वर्तमान प्रकरण में नहीं है।

6. इस प्रकार, विद्वान जिला न्यायाधीश, जांजगीर-चांपा द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.07.2008 (अनुलग्नक पी/9) आक्षेप रहित, न्यायसंगत और उचित है तथा हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।





7. तदुसार, याचिका प्रारंभिक स्तर पर खारिज की जाती है। परिणामस्वरूप, अंतर्वर्ती आवेदन क्रमांक 1 निराकृत किया जाता है।

सही/-
सतीश के. अग्निहोत्री
न्यायाधीश

====0000====

(Translation has been done with the help of AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

